2

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका) विभाग

कमांक:प. 2(157)कार्मिक/क–3/शिका/97 जयपुर, दिनांक: 13 APR 20..

परिपत्र

विषय:– अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने के सबंध मे ।

अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणो को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने के सबंध में इस विभाग के सम संख्यक परिपत्र दिनांक 24.3.2007 द्वारा जारी निर्देशों की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अभियोजन स्वीकृति सबधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. सक्षम प्राधिकारी अभियोजन स्वीकृती के पूर्ण प्रस्ताव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त होने से 4 माह की अवधि के भीतर अभियोजन स्वीकृती प्रसारण के बिन्दु पर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करें जैसा कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1193/2012 डॉ0 सुब्रमेण्यम स्वामी बनाम डॉ0 मनमोहन सिंह एवं अन्य में पारित निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है।
2. सबंधित सक्षम प्राधिकारी प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कोई स्पष्टीकरण चाहे तो उक्त स्पष्टीकरण की प्रकिया भी निर्धारित 4 माह की अवधि में ही पूर्ण करनी होगी।
3. ऐसा ध्यान में लाया गया है कि सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों/ बोर्डो में आपराधिक प्रकरणों में प्राईवेट ऐजेन्सी से जांच कराई गयी । अतः स्पष्ट किया जाता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अभियोजन स्वीकृती के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर यदि किसी अनुसंधान/जॉच की आवश्यकता समझी जावे तो प्रकरण में जॉच किसी भी स्थिति में किसी प्राईवेट एजेंसी/संस्था से नहीं कराई जावे। जॉच अत्यावश्यक समझे जाने पर सक्षम प्राधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त अन्य राजकीय एजेंसी/संस्था से ही करावें तथा ऐसी जॉच में यदि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्ट से भिन्न तथ्य प्रकट हों तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को ऐसी जॉच से प्राप्त तथ्यों से अवगत कराया जाकर उनका पक्ष भी सुना जावे। किन्तु यह प्रकिया भी 4 माह की निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

कृपया उक्त निर्देशो का पूर्णरूपेण पालन करें।

( खेमराज )
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय,राज0 जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण,राज0जयपुर।
4. निजी सचिव,मुख्य सचिव महोदय,राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
7. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,राज0 जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्तगण।
9. समस्त विभागाध्यक्ष( मय जिला कलेक्टर्स)
10. महानिदेशक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर।
11. निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
12. प्रोग्रामर, कार्मिक विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

(गणपत सिंह गहलोत)
संयुक्त विधि परामर्शी